भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 280
19 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थी

280. **श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत लोगों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक पीडीएस केंद्र पर योजनावार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान दादरा और नगर हवेली, विशेषकर छत्रपति संभाजीनगर जिले सहित महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश भर के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटाए गए या पीडीएस से बाहर निकलने का विकल्प चुनने वाले लोगों की संख्या का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 19.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *280 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सहायता प्रदान किए गए लोगों की संख्या दर्शाने वाला विवरण तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार कवरेज **अनुबंध-I** में है।

(ख): पिछले 5 वर्षों के दौरान "एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतरा राज्यीय संचलन और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता" योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि **अनुबंध-II** में दी गई है।

यह विभाग विकेन्द्रीकृत खरीद संचालन (डीसीपी) को अपनाने वाले राज्यों तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी जारी करने संबंधी मामलों की देखरेख करता है। राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत एएवाई, पीएचएच, पीएम पोषण, डब्ल्यूएनबीपी, एसएबी आदि सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों को वितरण के लिए रियायती दरों पर खाद्यान्न आबंटित किया जाता है। आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के बीच का अंतर, जिस पर खाद्यान्न जारी किया जाता है, की खाद्य सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है। खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन के साथ-साथ बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए भी एफसीआई को धनराशि जारी की जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी खाद्य सब्सिडी का ब्यौरा **अनुबंध-III और IV** में दिया गया है।

(ग): टीपीडीएस संचालन अर्थात राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, डुप्लिकेट की पहचान, अयोग्य रिकॉर्ड, मृत्यु, लाभार्थियों के स्थायी प्रवास आदि में प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2019 से 2024 (आज तक) के बीच लगभग 2.19 करोड़ राशन कार्ड समाप्त करने में सक्षम हुए हैं, ताकि सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। वर्ष 2019 से 2024 के दौरान हटाए गए/रद्द किए गए राशन कार्डों की राज्यवार और वर्षवार रिपोर्ट **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न है।

*****

लोक सभा में दिनांक 19.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 280 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर किये गये लाभार्थियों की वास्तविक संख्या (लाख में)					
		दिनांक 31.03.2020 तक	दिनांक 31.03.2021 तक	दिनांक 31.03.2022 तक	दिनांक 31.03.2023 तक	दिनांक 31.3.2024 तक	दिनांक 28.02.2025 तक
1	आंध्र प्रदेश	268.22	268.22	268.22	268.22	268.22	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.21	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40
3	असम	251.53	250.30	251.17	251.17	251.17	247.98
4	बिहार	857.12	871.16	871.16	871.16	871.16	871.16
5	छत्तीसगढ़	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77	200.77
6	दिल्ली	72.73	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78
7	गोवा	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32	5.32
8	गुजरात	382.54	341.71	345.15	344.15	351.60	365.84
9	हरियाणा	126.49	126.49	126.49	126.49	126.49	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	28.64	28.64	28.64	28.64	28.64	29.88
11	झारखंड	263.70	263.70	264.26	264.19	264.19	264.19
12	कर्नाटक	401.93	401.93	401.93	401.93	401.93	401.93
13	केरल	154.80	154.80	154.80	154.80	154.80	154.80
14	मध्य प्रदेश	546.42	470.47	482.59	511.32	534.79	534.79
15	महाराष्ट्र	700.17	700.17	700.17	700.17	700.17	700.17
16	मणिपुर	24.57	18.60	19.97	20.08	20.08	20.87
17	मेघालय	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46	21.46
18	मिजोरम	6.68	6.68	6.68	6.81	6.83	7.05
19	नागालैंड	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05	14.05
20	ओडिशा	323.60	324.33	324.15	325.03	325.98	325.17
21	पंजाब	141.51	141.51	141.51	141.51	141.45	141.45
22	राजस्थान	446.63	440.01	440.01	440.01	440.01	440.01
23	सिक्किम	3.79	3.79	3.79	3.81	3.81	3.81
24	तमिलनाडु	357.34	364.69	364.69	364.12	364.12	364.12
25	तेलंगाना	191.62	191.62	191.62	191.62	191.62	191.70
26	त्रिपुरा	24.83	24.83	24.83	24.43	24.43	24.43
27	उत्तर प्रदेश	1520.59	1465.94	1487.44	1497.77	1505.19	1498.70
28	उत्तराखंड	61.94	61.94	61.94	61.94	61.94	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84	601.84	601.84	601.84	601.84	601.84
30	अंडमान व निकोबार	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
31	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	2.91	2.86	3.02	2.69	2.69	2.69
32	लक्षद्वीप	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
33	चंडीगढ़ (डीबीटी)	2.80	2.80	2.76	2.99	2.99	2.99
34	पुदुचेरी (डीबीटी)	6.15	6.30	6.23	6.34	6.34	6.34
35	जम्मू व कश्मीर	72.05	72.41	72.41	72.41	72.41	72.41
36	लद्दाख	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
	कुल	**8095.22**	**7932.80**	**7972.53**	**8010.70**	**8049.94**	**8056.02**

*****

लोक सभा में दिनांक 19.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 280 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई धनराशि (करोड़ में)					
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (13.03.2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	62.52	271.76	122.37	91.73	105.44	148.95
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.8	0	44.19	8.39	31.32
3	असम	0	368.08	545.75	826.91	321.75	374.64
4	बिहार	342.43	796.58	743.27	881.05	434.73	807.42
5	छत्तीसगढ़	31.28	124.07	72.48	181.88	355.06	74.45
6	दिल्ली	136.83	4.15	26.27	48.88	0	0
7	गोवा	1.81	3.15	2.66	4.69	5.67	0
8	गुजरात	146.47	285.75	309.46	260.2	124.37	454.82
9	हरियाणा	6.7	19.23	178.23	43.26	45.78	301.99
10	हिमाचल प्रदेश	29.18	2.79	17.69	188.03	29.58	42.74
11	झारखंड	317.72	170.94	282.5	187.02	99.64	99.86
12	कर्नाटक	0	84.39	764.16	354.89	148.7	0
13	केरल	0	23.53	121	110.03	403.63	63.6
14	मध्य प्रदेश	0	634.6	129.13	844.5	234.66	222.76
15	महाराष्ट्र	305.83	501.91	289.72	621.69	703.54	725.5
16	मणिपुर	0	21.63	81.19	31.54	36.46	0
17	मेघालय	0	104.61	38.78	79.78	20.59	22.72
18	मिजोरम	14.6	11.08	7.71	12.57	0	6.54
19	नागालैंड	0	15.63	8.15	61.06	31.42	30.74
20	ओडिशा	0	18.44	294.18	110.86	872.57	47.25
21	पंजाब	9.3	9.24	51.08	0	50.06	263.05
22	राजस्थान	95.86	374.02	585.84	406.77	479.15	219.08
23	सिक्किम	4.92	5.85	7.59	12.33	3.85	3.85
24	तमिलनाडु	0	54.32	131.65	543.01	145.9	502.05
25	तेलंगाना	0	253.36	69.18	147.95	378.5	101.08
26	त्रिपुरा	32.28	30.5	64.53	49.15	23.92	23.55
27	उत्तर प्रदेश	141.05	1520.57	195.77	1325.4	3213.86	542.33
28	उत्तराखंड	0	6.04	67.19	379.83	58.71	47.59
29	पश्चिम बंगाल	0	626.64	741.32	535.06	226.32	697.67
30	अंडमान व निकोबार	0	0.06	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	0	0.16	0.37	0	0	0
32	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	0	0.43	1.01	1.55	0.87	2.76
33	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
34	पुदुचेरी	0	0.36	2.25	2.13	0	0
35	जम्मू व कश्मीर	0	137.85	47.51	184.08	139.96	89.82
36	लद्दाख	0	0	0	0	1.38	0
कुल जारी		**1678.78**	**6482.54**	**6000**	**8572.03**	**8704.46**	**5948.1**

*****

अनुबंध- III

लोक सभा में दिनांक 19.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 280 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले 5 वर्षों के दौरान डीसीपी राज्यों को प्रतिपूर्ति की गई खाद्य सब्सिडी की राशि का विवरण (करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 03.03.2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	8424.72	9323.38	6635.97	6268.19	7537.18
2	बिहार	4117.33	7671.9	10966.1	6557.64	8590.02
3	छत्तीसगढ	7193.13	9047.77	7574.81	5236.13	3598.19
4	गुजरात	9.24	749.43	311.54	267.83	138.87
5	हिमाचल प्रदेश*	-	-	-	47.38	-
6	झारखंड*	3.66	-	-	42.77	475.64
7	कर्नाटक	323.99	1682.12	2191.75	1222.13	1281.18
8	केरल	1214.98	1777.86	1544.89	1151.85	942.23
9	मध्य प्रदेश	11946.44	14420.62	9471.5	16939.27	8683.36
10	महाराष्ट्र	2555.74	4082.07	2725.75	3923.29	327.74
11	ओडिशा	8985.73	7892.69	7600.05	14473.68	6779.3
12	पंजाब	1761.53	2047.53	1202.49	2064.56	1397.04
13	तमिलनाडु	3109.76	6250.93	8685.95	7072.53	4848.89
14	तेलंगाना	6879.59	7665.02	5242.76	5367.07	3684.55
15	त्रिपुरा	29.79	15.58	148.67	106.51	35.79
16	उत्तराखंड	1371.33	1554.43	1212.25	724.39	755.49
17	पश्चिम बंगाल	8792.03	5421.34	6580.11	-	8899.88
18	**डीबीटी****	182.78	186.87	187.9	267.6	178.00
	कुल	**66901.77**	**79789.54**	**72282.49**	**71732.82**	**58153.35**

* हिमाचल ने वर्ष 2023-24 में डीसीपी मोड को अपनाया है और झारखंड ने केवल कुछ जिलों में डीसीपी मोड को अपनाया है।

**डीबीटी योजना के अंतर्गत, वर्ष 2015-16 से चंडीगढ़, पुदुचेरी एवं दादरा व नगर हवेली, संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी जारी की गई है।

*****

अनुबंध- IV

लोक सभा में दिनांक 19.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 280 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को जारी की गई राशि का विवरण

वर्ष	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2020-21*	462789.00
2021-22	208929.00
2022-23	200219.20
2023-24	139661.03
2024-25 (दिनांक 06.03.2025 तक)	126568.47

* वर्ष 2020-21 में एफसीआई को आबंटित निधि में से 3,39,236 रुपये करोड़ रुपये का उपयोग एफसीआई द्वारा लिए गए संपूर्ण एनएसएसएफ ऋण को चुकाने के लिए किया गया।

*****

लोक सभा में दिनांक 19.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 280 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

हटाए गए राशन कार्डों की स्थिति (2019-2024)

क्रम.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023	कुल
1	आंध्र प्रदेश	12,762	24,523	13,128	30,94,232	52,610	31,97,255
2	अंडमान व निकोबार	421	431	196	950	47	2,045
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	1,151	328	1,479
4	असम	22,412	21,291	11,120	28,590	38,590	1,22,003
5	बिहार	3,92,713	99,404	15,678	1,61,809	4,49,525	11,19,129
6	चंडीगढ़	-	-		684	2,291	2,975
7	छत्तीसगढ	1,38,967	4,508	10,400	20,715	29,108	2,03,698
8	दादरा व नगर हवेली एवं दमन व दीव	577	5,840	2,454	73	1	8,945
9	दिल्ली	381	518	448	116	3,686	5,149
10	गोवा	888	148	805	2,117	5,801	9,759
11	गुजरात	23,038	47,936	2,19,151	1,32,519	1,35,362	5,58,006
12	हरियाणा	-	-	-	1,96,174	8,49,972	10,46,146
13	हिमाचल प्रदेश	367	4,376	2,538	3,299	7,551	18,131
14	जम्मू व कश्मीर	13,869	13,224	33,677	2,927	5,403	69,100
15	झारखंड	60,333	65,234	-	75,137	29,771	2,30,475
16	कर्नाटक	1,09,312	31,753	42,558	48,477	74,401	3,06,501
17	केरल	2,543	52,475	1,04,511	41,998	40,800	2,42,327
18	लद्दाख	शून्य	शून्य	614	30	58	702
19	लक्षद्वीप	6	7	33	38	89	173
20	मध्य प्रदेश	61,265	1,65,829	9,93,704	98,186	4,96,092	18,15,076
21	महाराष्ट्र	6,53,677	1,31,986	36,119	1,44,985	2,01,676	11,68,443
22	मणिपुर	-	45,321	9,411	30,493	9,684	94,909
23	मेघालय	10,525	16	-	402	1,612	12,555
24	मिजोरम	156	1,443	1,637	3,617	4,115	10,968
25	नागालैंड	18,552	7,304	-	3,428	3,177	32,461
26	ओडिशा	-	-	-	64,122	31,240	95,362
27	पुदुचेरी	2,093	1,881	1,731	538	847	7,090
28	पंजाब	94,031	1,79,837	3,305	1,52,497	1,23,722	5,53,392
29	राजस्थान	72,276	5,80,241	1,35,283	2,65,390	26,386	10,79,576
30	सिक्किम	5,622	6,981	-	458	-	13,061
31	तमिलनाडु	-	-	2,00,942	86,150	73,875	3,60,967
32	तेलंगाना	40,684	12,154	-	4,988	34,064	91,890
33	त्रिपुरा	552	1,099	1,100	1,254	800	4,805
34	उत्तर प्रदेश	41,52,273	8,54,025	7,19,213	9,99,100	7,00,138	74,24,749
35	उत्तराखंड	-	-	49,712	66,627	9,691	1,26,030
36	पश्चिम बंगाल	1,00,151	59,666	2,93,326	6,47,003	7,56,860	18,57,006
	कुल योग	**59,90,446**	**24,19,451**	**29,02,794**	**63,80,274**	**41,99,373**	**2,18,92,338**

*****